न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
136 / अपील / 2017	10.04.2017	25.05.2018

प्रभू आ0 छोटू जाति तेली निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान) – अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार करवर जिला बून्दी (राज0)
– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29.03.2016
नायब तहसीलदार, करवर
अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित–
अपीलांट की ओर से – श्री रामकैलाश नागर, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार।

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार करवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 814 के रकबा 14X15=210 वर्गफुट बिस्वा किस्म गे.मू. पाल वाके ग्राम करवर तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये बेदखली, पैनाल्टी 50/– रूपये की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय वस्तु स्थिति एवं कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट को बिना जॉच किये निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट का वर्तमान में उक्त विवादित खसरा सं. 814 के किसी भू–भाग पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट ने पूर्व में कब्जा किया था जिसको हटा लिया गया है। अपीलान्ट को पूर्व में कभी बेदखल नहीं किया गया है एवं ना ही किसी प्रकार का नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट पश्चावर्ती अतिक्रमी नहीं है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 2002 पेज 667

की नजीरे पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिपत हुआ है। अपीलान्ट द्वारा गै.मू. पाल की भूमि पर कब्जा किया है। गै.मू. पाल सार्वजनिक हित की भूमि है। जिस पर किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अपीलान्ट का खसरा सं.–814 रकबा 14X15= 210 वर्गफुट किस्म गे.मू.पाल की भूमि है। उक्त रिपोर्ट पटवारी प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है कि अपीलान्ट का वर्तमान में विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट का पूर्व में कब्जा था वह हटा लिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। विवादित खसरा संख्या–814 गे.मू.पाल की भूमि है। जिस पर किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को खसरा सं.–814 में अतिक्रमण मानकर बेदखल एवं शास्ति का आदेश पारित किया गया है वह न्यायसंगत एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को खुले ~~न्यायालय में~~ सुनाया गया।

25.5.18

(नरेश कुमार मालव RAS)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)